UPCD010008092026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी (एच.जे.एस.)
J.O.Code.U.P.5730
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 391/2026

शशी कुमार गुप्ता पुत्र विनोद प्रसाद गुप्ता निवासी जादूपुर थाना जादूपुर जिला गोपालगंज बिहार। –अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य –विपक्षी

अपराध संख्या 61/2026
धारा–8/20/60 एन.डी.पी.एस.ऐक्ट
थाना– चन्दौली जिला–चन्दौली।

17—03—2026

अभियुक्त शशी कुमार गुप्ता उपरोक्त की ओर से थाना चन्दौली जिला चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 61/2026 धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट के तहत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त शशी कुमार गुप्ता उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त व पैरवीकार विवेक कुमार पुत्र स्व. जतन प्रसाद के शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त उपरोक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र माननीय जनपद न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दाखिल है और न ही विचाराधीन है।

अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19–02–2026 को थाना स्थानीय के बहवाले रपट नम्बर 03 पर वादी उपनिरीक्षक रावेन्द्र सिंह रवाना होकर मय हमराह कां0 प्रियेश यादव के देखभाल रात्रि गस्त व अन्य राजकीय कार्य सरकार में मामूर होकर लीलापुर रेलवे फाटक के पास मौजूद थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि एक काले रंग की टैक्सी जिसका नम्बर यूपी 50 सीटी 7347 है जो इस समय मझवार रेलवे स्टेशन के सामने है जो संदिग्ध लग रही है इसको रोककर चेक कर लिया जाय इसमें शराब होने की सम्भावना है। इस सूचना पर वादी उपनिरीक्षक तत्काल श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय को अवगत कराते हुए तत्काल थाना चन्दौली की प्रथम मोबाइल को मौके पर तलब किया गया तथा वादी उपनिरीक्षक मय हमराह के लीलापुर ओवरब्रिज के ऊपर पहुंचकर उपरोक्त मुखबिर खास द्वारा बताये गये टैक्सी का इन्तजार करने लगे कि तब तक उपरोक्त टैक्सी मौके पर आ गयी जिसे हिकमत अमली से रोकवा लिया गया। टैक्सी चालक से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शशी कुमार गुप्ता पुत्र विनोद प्रसाद गुप्ता निवासी जादूपुर थाना जादूपुर जिला गोपालगंज बिहार बताया तथा चालक के बगल वाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शिवशंकर भगत पुत्र शतन भगत निवासी जादूपुर थाना जादूपुर जिला गोपालगंज बताया कि तब तक थाना चन्दौली की प्रथम मोबाइल यूपी 67 जी 0404 उपनिरीक्षक मु0 असलम मय चालक संजीत शाह के उपस्थित आ गये। वाहन को विधवत चेक किया गया तो वाहन प्रथम दृष्टया खाली पाया गया। चालक व खलासी से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताए कि उपरोक्त टैक्सी के छत पर पार्टीसन कर गांजा रखा गया जिसे वे

Digitally signed by DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI
Date: 2026.03.18 14:59:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लोग रामपुर उड़ीसा से ला रहे हैं जिसे गोपालगंज बजरी मोड बिहार ले जाएंगे जहाँ इसे खुला बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे कि गाड़ी में गांजा की सूचना पर तत्काल श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार को अवगत कराते हुए तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु बताया गया कि क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार कुछ ही समय पश्चात मौके पर आ गये जिनके समक्ष गाड़ी के ऊपर लगे पर्दे को हटाकर चेक किया गया तो ऊपर की छत में दो भाग में पार्टीशन कर भुरा रंग के टेप से लपेटकर कुल 22 पैकेटों में गांजे की पैकिंग की गई है जिसमें से दस पैकेट छोटे व 12 बड़ी पैकेट है कि मौके पर कां0 प्रियेश को नवीन मण्डी भेजकर इलेक्ट्रानिक कांटा मंगवा कर मौके पर तौल कराया गया तो दस छोटी पैकेट एक–एक किलो कि व 12 बड़ी पैकेट दो–दो किलो की करीब पायी गई कुल मात्र 32,300 किलोग्राम पकड़े गये। दोनो व्यक्तियों की जामा तलाशी बारी बारी लेते हुए अधिकारपत्र तलब किया गया तो चालक शशी कुमार उपरोक्त के पहने हुए जिंस के दाहिने जेब से एक अदद स्क्रीन टच मोबाइल तथा चालक के बगल वाले व्यक्ति शिवशंकर भगत उपरोक्त के पहने हुए पैण्ट के दाहिने जेब से एक अदद मोबाइल पाया गया। परिवहन के सम्बन्ध में प्रपत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहे। टैक्सी में लगे नम्बर अपने मोबाइल के ई चालान ऐप में डालकर चेक किया गया तो वाहन नम्बर यूपी 50 सीटी 7347 वाहन स्वामी विट्ठू कुशवाहा पुत्र गनेश कुशवाहा निवासी आजमगढ़ थाना सदर पाया गया।

अभियुक्त शशी कुमार गुप्ता उपरोक्त का अपने प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र में यह कहना है कि वह दिनांक 19–02–2026 से जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध है। उसका दोषसिद्धि का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित घटना व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वाहन संख्या यू.पी. 50 सी.टी. 7347 उसका नहीं है न ही वह गाड़ी में बैठा था। उसके पलायन की संभावना नहीं है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियुक्त शशी कुमार गुप्ता के उक्त जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त को भारी मात्रा में नाजायज गांजा के साथ रंगे हाथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बरामद शुदा गांजा वाणिज्यि मात्रा से भी अधिक है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाय।

मैने अभियुक्त उपरोक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुना व केस डायरी का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रावेन्द्र सिंह व फर्द के गवाह असलम खॉ पुत्र मोहम्मद मुख्तार ने अभियोजन कथानक के समर्थन में विवेचक को बयान दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी में विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के अनुसार प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्तगण शिवशंकर भगत व शशी कुमार गुप्ता द्वारा वाहन संख्या यूपी 50 सीटी 7347 पर कुल लगभग 32 किलोग्राम 300 ग्राम अवैध गांजे का परिवहन किया जाना अभिकथित है जो गांजे की व्यापारिक मात्रा बीस किलोग्राम से काफी अधिक है। प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त शशी कुमार गुप्ता का वाहन संख्या यूपी 50 सीटी 7347 का चालक व अभियुक्त शिवशंकर भगत का वाहन संख्या यूपी 50 सीटी 7347 के चालक शशी कुमार गुप्ता के बगल वाली सीट पर बैठा होना बताया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त शशी कुमार गुप्ता उपरोक्त के

जमानत के पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त शशी कुमार गुप्ता उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शशी कुमार गुप्ता उपरोक्त की ओर से थाना चन्दौली जिला चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 61/2026 धारा 8/20/ 60 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट के तहत प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

दिनांकः—17—03—2026.

(दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

स्टेनो— संजीत सिंह।